न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 91/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/119)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. जगतार सिंह पुत्र रण सिंह जाति मजहबी निवासी वार्ड नम्बर 1 गांव 9 एच संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 2. गुरदेव सिंह पुत्र रण सिंह जाति मजहबी निवासी वार्ड नम्बर 1 गांव 9 एच संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 3. पाल सिंह पुत्र रण सिंह जाति मजहबी निवासी वार्ड नम्बर 1 गांव 9 एच संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 4. हाकम सिंह पुत्र रण सिंह जाति मजहबी निवासी 3 डी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	1. बलविन्द्र सिंह पुत्र मिठ्ठू सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह जाति मजहबी निवासी 12 एच मोहल्ला तहसील श्रीकरणपुर। 2. सुखमन्दर सिंह पुत्र मिठ्ठू सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह जाति मजहबी निवासी 12 एच मोहल्ला तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरविन्द्र कौर पत्नी जलंधर सिंह पुत्र मिठ्ठू सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह जाति मजहबी निवासी 12 एच मोहल्ला तहसील श्रीकरणपुर। 4. सौरभ पुत्र जलंधर सिंह पुत्र मिठ्ठू सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह जाति मजहबी निवासी 12 एच मोहल्ला तहसील श्रीकरणपुर। 5. कर्मजीत कौर पुत्री जलंधर सिंह पुत्र मिठ्ठू सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह जाति मजहबी निवासी 12 एच मोहल्ला तहसील श्रीकरणपुर। 6. इकबाल कौर पत्नी रेशम सिंह पुत्री मिठ्ठू सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह जाति मजहबी निवासी 12 एच मोहल्ला तहसील श्रीकरणपुर। 7. इन्द्रजीत कौर पत्नी सुखमन्दर सिंह पुत्री मिठ्ठू सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह जाति मजहबी निवासी 12 एच मोहल्ला तहसील श्रीकरणपुर। 8. पालो पुत्री रण सिंह पत्नी अर्जन सिंह जाति मजहबी निवासी 12 एच मोहल्ला तहसील श्रीकरणपुर। 9. गुड्डी पुत्री रण सिंह पत्नी जग्गा सिंह जाति मजहबी निवासी 12 एच मोहल्ला तहसील श्रीकरणपुर। 10. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

(मोहर: ...अधिकारी (राजस्व) ... पुर (श्रीगंगानगर))

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 13.04.2025

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2. श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

दिनांकः 26.09.2025

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 2 आर, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 40/39 के मुरब्बा नम्बर 2, 42/2 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि प्रीतम सिंह पुत्र घमण्डा सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मृतक खातेदार प्रीतम सिंह पुत्र घमण्ड सिंह का अविवाहित ही दिनांक 18.07.1997 को चक 12 एच मोहल्ला में देहांत हो गया था, जिनकी मृत्यू के पश्चात उनकी एकमात्र वारिस धन कौर पत्नी रण सिंह थी। उक्त एकमात्र वारिस धन कौर का भी दिनांक 04.06.2001 को चक 12 एच मोहल्लां में देहांत हो चुका है। मृतक धन कौर के कुल 7 वारिसान मिठ्ठू सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह(मृतक), हाकम सिंह, गुरदेव सिंह, पाल सिंह, जगतार सिंह, पालो, गुड्डी है। मृतक खातेदार प्रीतम सिंह के देहांत के पश्चात उक्त 3.163 हैक्टेयर भूमि उसकी एकमात्र बहिन धन कौर पत्नी रण सिंह को प्राप्त हुई और धन कौर पत्नी रण सिंह के देहांत होने के पश्चात उनके वारिसों को उक्त भूमि प्राप्त हुई। धन कौर के वारिस मिठ्ठू सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह के देहांत होने के पश्चात उक्त भूमि में से मिठ्ठू सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह का हिस्सा उनके वारिस को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। वादीगण एंव प्रतिवादीगण अपनी पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार उक्त कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि पर शांतिपूर्वक, निर्बाध, निरंतर कब्जा काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 8, 9 के द्वारा अपनी पारिवारिक व्यवस्था व सहमति से उक्त भूमि में वर्णित अपने हक व हिस्सा का 0.451-0.451 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को बहिब सपूर्द की गई है।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

इसके पश्चात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपनी सहमति व स्वेच्छा से उक्त भूमि का पारिवारिक समझौतानामा लिखित दस्तावेज 03.02.2025 रूबरू गवाहान निष्पादित किया हुआ है। जो नोटेरी पब्लिक से सत्यापित है। पारिवारिक समझौतानामा में वादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्राप्त है तथा उसी के अनुसार उस पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। राजस्व अभिलेख में आज भी भूमि मृतक प्रीतम सिंह पुत्र घमण्ड सिंह के नाम दर्ज है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने अपनी सुविधाओं के अनुसार भूमि पर कब्जा काश्त अवश्य है। वादीगण ने अन्य प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि कृषि भूमि का नामातंरण करवाकर, भूमि का अंकन अपने नाम से राजस्व अभिलेख में करवा लेते है। लेकिन पक्षकारान ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर मृतक प्रीतम सिंह पुत्र घमण्ड सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 2 आर, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 40/39 के मुरब्बा नम्बर 2, 42/2 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि में से प्रत्येक वादीगण को 1 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार मृतक प्रीतम सिंह पुत्र घमण्ड सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 2 आर, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 40/39 के मुरब्बा नम्बर 2, 42/2 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि में से बलविन्द्र सिंह, सुखमन्दर सिंह, गुरविन्द्र कौर, को 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बहिब खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादगत भूमि के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1917 दिनांक 18.07.2025 प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व ग्राम 2 आर, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 40/39 के मुरब्बा नम्बर 2, 42/2 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि प्रीतम सिंह पुत्र घमण्ड सिंह जाति हरिजन साकिन देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रीतम सिंह पुत्र घमण्डा सिंह जाति मजहबी निवासी मोहलां की अविवाहित ही मृत्यू हो चुकी है। उनकी मृत्यू के पश्चात् उनके एकमात्र वारिस बहन धन कौर पत्नी रण सिंह की भी लगभग 23-24 वर्ष पूर्व मृत्यू हो चुकी है। धन कौर पत्नी रण सिंह के कुल सात पुत्र-पुत्रियां पाल सिंह, जगतार सिंह, गुरदेव सिंह, हाकम सिंह, मिठ्ठू सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह(मृतक) पिसरान रण सिंह, पालो, गुड्डी पुत्रीयान रण सिंह है। मौके पर उक्त रकबा में जगतार सिंह, पाल सिंह, गुरदेव सिंह, हाकम सिंह पिसरान रण सिंह 1.518 हैक्टेयर ब.हि.ब. तथा शेष रकबा पर (1)बलविन्द्र सिंह, (2)सुखमन्दर सिंह पिसरान मिठ्ठू सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह, (3)गुरविन्द्र कौर पत्नी जलंधर सिंह, सौरभ पुत्र जलन्धर सिंह पुत्र मिठ्ठू सिंह उर्फ मुखत्यार सिंह ब.हि.ब कुल 1.645 हैक्टेयर भूमि पर काश्त कर रहे हे। मौके पर किसी प्रकार का वाद-विवाद नहीं होना बताया गया। सभी पक्षकारों द्वारा शान्तिपूर्वक अपना-अपना हिस्सा काश्त करना बताया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को वादीगण का वादपत्र स्वीकार है। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 काउन्टर क्लेम स्वीकार है। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट व पक्षकारान के सहमति पत्र दिनांक 03.02.2025 के अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण का वादपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम मय शपथपत्र, सहमति पत्र दिनांक 03.02.2025, मृत्यू प्रमाण पत्र प्रीतम सिंह पुत्र घमण्डा सिंह, धन कौर पुत्री घमण्डा सिंह, वारिसानामा प्रीतम सिंह, धन कौर, का गहनता से

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट व पक्षकारान के सहमति पत्र दिनांक 03.02.2025 मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम, सहमति बंटवारानामा दिनांक 03.02.2025 के मुताबिक भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर मृतक प्रीतम सिंह पुत्र घमण्डा सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 2 आर, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 40/39 के मुरब्बा नम्बर 2, 42/2 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण जगतार सिंह, गुरदेव सिंह, पाल सिंह, हाकम सिंह को 1.518 हैक्टेयर ब.हि.ब. भूमि का व प्रतिवादीगण बलविन्द्र सिंह, सुखमन्दर सिंह, गुरविन्द्र कौर को 1.645 हैक्टेयर ब.हि.ब. भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जगतार सिंह आदि बनाम बलविन्द्र सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए

मुकदमा नम्बर **91/2025**

निर्णय दिनांक :-26.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम, सहमति बंटवारानामा दिनांक 03.02.2025 के मुताबिक भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर मृतक प्रीतम सिंह पुत्र घमण्डा सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 2 आर, पटवार हल्का मोहल्लां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 40/39 के मुरब्बा नम्बर 2, 42/2 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण जगतार सिंह, गुरदेव सिंह, पाल सिंह, हाकम सिंह को 1.518 हैक्टेयर ब.हि.ब. भूमि का व प्रतिवादीगण बलविन्द्र सिंह, सुखमन्दर सिंह, गुरविन्द्र कौर को 1.645 हैक्टेयर ब.हि.ब. भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 26.09.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 26.09.2025

क्रमांक: रीडर/2025/736

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर